कार्यालय नगरपालिका खाटूश्यामजी जिला सीकर

Email : khatushyamji.jaipur@gmail.com

क्रमांक :–नपाखा / 2022 / 5092 दिनांक :– 15/09/22

ई–नीलामी सूचना

कार्यालय नगरपालिका खाटूश्यामजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु पार्किंग व्यवस्था हेतु ई–नीलामी आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति / संस्था / फर्म www.mbkhatushyamji.in पर ई–नीलामी हेतु पंजीकरण करके दिनांक 15.09.2022 से 27.09.2022 तक निर्धारित राशि जमा करवाकर दिनांक 28.09.2022 को ई–नीलामी समय सुबह 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक भाग ले सकता है। शेष शर्ते कार्यालय समय एवं वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका खाटूश्यामजी

क्रमांक :–नपाखा / 2022 / 5093–95 दिनांक :– 15/09/22

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका खाटूश्यामजी।
2. संपादक महोदय दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक उद्योग आजकल.....।
3. नोटिस बोर्ड नगरपालिका पर चस्पार्थ।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका खाटूश्यामजी

कार्यालय नगर पालिका खाटूश्यामजी जिला–सीकर (राज.)

:–वर्ष 2022–23 हेतु पार्किंग शर्तेः–

नगर पालिका खाटूश्यामजी द्वारा वित्तिय वर्ष 2022–23 के लिए पार्किंग स्थान की ई नीलामी खूली प्रतियोगी बोली के जरिये निम्न वर्णित शर्तानुसार आमंत्रित की जाती है :–

1. पार्किंग हेतु संवेदक को निम्न स्थान उपलब्ध कराये जायेंगे
   A.पुरानी नगरपालिका भवन के पास स्थित नगरपालिका की खाली जमीन।
   B रींगस रोड़ पर स्थित नगरपालिका पार्किंग स्थल।
   C 52 बिघा पार्किंग रिगंस रोड़
   D नगर पालिका कार्यालय स्थित पार्किंग के आगे का चारदीवारी युक्त भूखण्ड
   E रीगंस रोड़ स्थित विश्राम स्थली के सामने का खाली भूखण्ड
2. निविदा में इच्छुक भागीदार को प्रत्येक ई ऑक्शन हेतु निर्धारित भागीदार शुल्क(नोन रिफेन्डेबल) एवं अमानता राशि जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही ई नीलामी में भाग ले सकता है।
3. उक्त निलामी में भाग लेने हेतु बोली दाता को निर्धारित समय तक निविदा भागीदारी शुल्क 10000/ रू एवं अमानता राशि 3,50,000........../ रू जमा कराने होगें। उक्त राशि पालिका खाता संख्या 429001000111...............................आई एफ सी कोड़ ICIC0004440 ....में जमा होगी। उक्त राशि जमा पश्चात बैंक द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार संबंधित फर्म/व्यक्ति/संस्था उक्त निलामी हेतु निर्मित पोर्टल पर पुर्तियॉ पूर्ण कर बोली प्रकिया में भाग ले सकता है।
4. पार्किंग ठेके हेतु सरकारी आरक्षित प्रारंभिक बोली 7000000/रूपये शब्दे सत्तर लाख होगी एवं बोली 10000 के पूर्णांक में लगाई जावेगी।
5. अंतिम तीन बोली दाताओं की अमानता राशि, सफल उच्चतम बोली दाता द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा कराये जाने के पश्चात लोटाई जावेगी। उच्चतम बोली दाता द्वारा राशि नही जमा कराने पर क्रमशः द्वितीय, तृतीय बोली दाता को अवसर दिया जावेगा। राशि नही जमा ना कराने पर अमानता राशि जब्त की जायेगी।
6. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका खाटूश्यामजी को होगा।
7. पार्किंग का ठेका 31 मार्च 2023 तक के लिये होगा। विशेष परिस्थितियों में दोनो पक्षों में आपसी सहमति होने पर राशि बढाई जाकर अधिकतम एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिसका निर्धारण कमेटी बनाकर नगर पालिका द्वारा किया जावेगा।
8. वित्तीय वर्ष से पूर्व ठेका निरस्त करने अथवा अनुबंध खत्म करने का अधिकार नगर पालिका के पास सुरक्षित रहेगा। नगर पालिका द्वारा (संवेदक द्वारा शर्तो का उल्लघन करने के कारण निरस्ती के अतिरिक्त) ऐसी स्थिति में आनुपातिक राशि संवेदक को लौटा दी जावेगी।
9. ठेकेदार को राशि निम्नानुसार जमा करानी होगीः–

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, खाटूश्यामजी

नगर पालिका खाटूश्यामजी

1/4 ठेका राशि 3 दिन मे तथा शेष राशि 3/4 ठेका राशि अनुज्ञा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस मे जमा करानी होगी। सम्पूर्ण राशि जमा होने के वाद ही ठेके संबंधित अनुबन्ध किया जावेगा ।

10. निर्धारित अवधि में बोली राशि जमा नही कराने पर ठेकेदार की जमा समस्त राशियां जब्त की जाकर ठेकेदार के विरूद्ध नियमनुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

11. पार्किंग स्थल पर पार्किंग करने वाले वाहन धारकों से नगर पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल किया जावेगा।

समय	मोटर साईकिल/स्कूटर	चौपहिया वाहन	बस/ट्रक/मिनिवस
प्रथम 12 घण्टे	10	50	100
12 से 24 घण्टे	20	100	200

12. कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक राशि वसूलने की शिकायत के सत्यापन होने पर बिना किसी बातचीत का अवसर प्रदान किये जमा समस्त राशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

13. समय समय पर राज्य सरकार/यातायात विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

14. प्रत्येक वाहन के दो टोकन/रसीद होंगे। एक वाहन स्वामी को दिया जावेगा तथा दुसरा टोकन/रसीद ठेकेदार के पास रहेगा। टोकन पर वाहन संख्या एवं पार्किंग का समय अकिंत करना होगा। जिससे वाहन बदलने की संभावना नही रहें। स्टेण्ड पर वाहन की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। स्टेण्ड पर खड़ा वाहन खो जाने अथवा किसी प्रकार की हानि होने पर वाहन धारक की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार को होगा। नगर पालिका खाटूश्यामजी किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नही होगा।

15. ठेकेदार के स्वयं के खर्चे पर नगर पालिका खाटूश्यामजी द्वारा अनुमोदित टोकन बुक छपवानी होगी। उनका समस्त रिकॉर्ड संवेदक द्वारा संधारित किया जावेगा।

16. वाहन स्वामी द्वारा टोकन खो देने पर वाहन के स्वामीत्व आदि के सबूत ठेकेदार को प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार द्वारा पूर्ण जांच करने के बाद ही वाहन लौटाया जावेगा तथा ऐसी परिस्थितियों में समस्त जानकारी पहचान की सूचना पृथक से रखी जावेगी।

17. पार्किंग स्थल पर ठेकेदार को पार्किंग स्थल की सूचना का 6x4 साईज के चार (विशेषकर प्रवेश एवं निकासी पर) बोर्ड स्वयं के खर्चे पर लगाना होगा। जिन पर पार्किंग स्थल का नाम ठेकेदार का नाम/पता, स्वीकृति सख्यां मोबाईल न. नगर पालिका कार्यालय का नाम एवं पार्किंग की दरें दर्शायी जानी आवयश्क होगी।

18. ठेकेदार के अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि ही ठेका स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूल करेंगे इनकी सूचना ठेका स्वीकृति के 7 दिवस में ठेकेदार द्वारा नगर पालिका खाटूश्यामजी को उपलब्ध करायी जावेगी। ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों का ठेका स्थल पर अपने नाम का कार्ड लगाना होगा। ऐसा नही करने पर ठेका शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। कार्ड का खर्चा ठेकेदार को वहन करना होगा।

19. ठेकेदार ठेके को अन्य किसी को सबलेट नही कर सकेगा। सबलेट करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।

20. ठेकेदार पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नही करवा सकेगां। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे ठेकेदार के खर्चे से तुरन्त हटाया जावेगा, एवं ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

अध्यक्ष
नगर पालिका, खाटूश्यामजी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, खाटूश्यामजी

21. ठेका अवधि में नगर पालिका द्वारा कभी भी राज्यादेश/किसी विशेष अवसर/मेला या जनहित में उक्त पार्किंग स्थलों को बिना किसी मुआवजे के अवाप्त कर सकती है। इस हेतु संवेदक की पूर्व स्वीकृति की आवश्कता नहीं होगी।
22. ठेका स्वीकृति के बाद 7 दिवस में नियमानुसार राशि के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ठेके की शर्तो अनुसार नियमानुसार अधिशाषी अधिकारी को अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होंगा, जिस पर 2 जमानती के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
23. ठेकेदार को पार्किंग की दरें पठनीय रूप से लिखकर दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी। ऐसा नही करने पर इसे ठेके की शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। वाहन धारक के चाहने पर ठेके की शर्तो की छायाप्रति का अवलोकन किया जा सकेगा।
24. यदि नगर पालिका के ठेकेदार के किसी कृत्य से किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है या दायित्व उत्पन्न होता है। तो ठेकेदार इसके लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
25. किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा ऐसी स्थिति में ठेकेदार की समस्त जमा राशियां जप्त की जावेगी।
26. ठेका शर्तो में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर पालिका खाटूश्यामजी को होगा। और नियमानुसार राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निविदा राशि के अतिरिक्त जमा कराने होंगे।
27. अन्य राजकीय कर जो लागू होंगे, जो कि निविदा राशि/बोली राशि के अलावा लागू होंगे।
28. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर पालिका खाटूश्यामजी का निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षों को मान्य होगा।
29. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षैत्र दांतारामगढ़ होगा।
30. सरकारी वाहन/ऐम्बुलेंस/फायर ब्रिगेड आदि को निःशुल्क पार्किंग उपलब्ध करानी होगी।
31. कार्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के शुल्क वसूल किये जाने पर शास्ति अथवा ठेका निरस्त किया जा सकता है जिसका निर्णय अधिकारी कमेटी बनाकार कर सकते है।
32. पार्किंग स्थल पर वाहन चालकों,सवारियों आदि हेतु प्राथमिक सुविधा यथा पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
33. पार्किंग स्थल पर समूचित सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी प्रकार की चोरी, हानि, दुर्घटना आदि के लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा एवं इनके कारण उत्पन्न किसी भी दावे के लिए संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा पालिका द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जावेगा।
34. पार्किंग हेतु किसी भी प्रकार से मार्ग अवरूद्ध करके यातायात को बाधित नहीं किया जावेगा ।
35. कार्यालय द्वारा निजी पार्किंगकर्ताओं का पंजियन किया जा रहा है अतः निजी पार्किंगकर्ताओं के पार्किंग स्थलों पर किसी भी प्रकार का मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जावेगा ओर ना ही उक्त स्थलों से जबरन गाड़ी सरकारी पार्किंग में लाई जावेगी। शिकायत सत्यापन पर नगरपालिका कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
36. संवेदक द्वारा केवल निर्धारित पार्किंग स्थल ही पार्किंग में काम में लिये जायेंगे यदि किसी अन्य स्थान को पार्किंग कर्ता काम में लेता है तो इसकी सूचना कार्यालय को देनी होगी। जिसका नियमन/निर्धारण पालिका के प्रचलित नियमों एवं व्यवहार अनुसार किया

अध्यक्ष
नगर पालिका, खाटूश्यामजी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, खाटूश्यामजी

जावेगा।

37. गाड़ी उठाने का कार्य किसी भी प्रकार से उक्त निविदा में शामिल नहीं है ऐसा करते पाये जाने पर बिना किसी मुआवजे के समस्त जमा राशि को जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
38. ठेकेदार द्वार लगाये गये समस्त कर्मचारियों की सूचना कार्यालय को देनी होगी एवं इनको मजदूरी का नियमानुसार भुगतान संवेदक द्वारा किया जावेगा।
39. कार्यालय द्वारा जारी आईडी कार्ड धारक ही संवेदक की ओर से पार्किंग शुल्क वसूल कर सकते है। ऐसा नही पाये जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।जिनका निर्धारण अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
40. उक्त निलामी अवधि में श्री खाटूश्यामजी वार्षिक लक्खी मेला सम्मिलित है। अगर लक्खी मेले के समय पार्किंग निशुल्क की जाती हैं तो स्वीकृत उच्च बोली की 20 प्रतिशत राशि संवेदक को लौटाई जावेगी।
41. निरन्तर कार्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।

अध्यक्ष
नगर पालिका खाटूश्यामजी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका खाटूश्यामजी